

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : प .1(42)सानि / 2015

जयपुर

दिनांक 31.05.2016

4-11-16

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशांषा पर नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिशाषी अभियंता (सिविल) को इनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम	वर्ष
1	श्री अशोक कुमार जैन	2015-16

वर्ष 2015-16 की मुख्य चयन चयन सूची में अशोक कुमार जैन का नाम श्री संजय भार्गव के नीचे एवं श्री सुनील सक्सैना के ऊपर रहेगा।

पदोन्नति पश्चात श्री जैन के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

आज्ञा से,

(अन्तर सिंह नेहरा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

31/5/16

P.T.O...2

(2)

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.7-2549 / S.E.(Civil)/ अनु0प्रथम/ए/2016-17/डी-559 दिनांक: 31.05.2016

सयुक्त शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ.1(42) सानि/ 2015/ दिनांक 31.05.2016 की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता पथ/एनएच./पीएमजीएसवाई/स्पेशल स्कीम/भवन/गुण नियंत्रण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
5. मुख्य वास्तुविद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (बी.ओ.टी./पी.पी.पी./पी.एण्ड.एम/वर्ल्ड बैंक/प्रशासन/ओ.पी.आर.सी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-कोटा/भरतपुर ।
9. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता भवन/बी.ओ.टी./पथ/एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई./स्पेशल स्कीम/पीपीपी-1 से 9 मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सानिवि, जयपुर ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-बून्दी/धौलपुर ।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-नैनवा(बून्दी) ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (जांच) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
13. संबंधित अधिकारीगण ।
14. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली ।

AFM
31/5/16
(संजीव माथुर)

अधीक्षण अभियंता एवं तक0 सहायक-प्रथम
सा0नि0वि0राज0 जयपुर।

taceaspwd@rediffmail.com

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : प .1(18)सानि / 2016

जयपुर, दिनांक 05/05/2016

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिशाषी अभियंतागण को वर्ष 2016-17 में इनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम	रिक्ति की उपलब्धता की दिनांक
1	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल	01.04.2016
2	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	01.04.2016
3	श्री मनवर अली	01.04.2016
4	श्री शिखर चन्द जैन	01.04.2016
5	श्री राघेश्याम झंवर	01.04.2016
6	श्री राकेश गुप्ता	01.04.2016
7	श्री सत्यप्रकाश विजय	01.04.2016
8	श्री सतेन्द्र कुमार	01.04.2016
9	श्री सुनील कुमार कालानी	01.04.2016
10	श्री विजय कुमार वर्मा	01.04.2016
11	श्री सुनील गुप्ता	01.06.2016
12	श्री सुरेन्द्र कुमार	01.07.2016
13	श्री रविन्द्र कुमार जैन	01.07.2016
14	श्री अवनीश कुमार जैन	01.07.2016
15	श्री हरिकृष्ण	01.08.2016
16	श्री सतीश शर्मा	01.08.2016
17	श्री विश्वेश्वर लाल धनकड	01.10.2016
18	श्री बंसत कुमार आचार्य	01.10.2016
19	श्री चन्द्रमोहन राज माथुर	01.10.2016
20	श्री अशोक कुमार शर्मा	01.10.2016
21	श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री जे.एन. गुप्ता	01.11.2016
22	श्री कौशलेन्द्र भारद्वाज	01.12.2016

श्री राज कुमार सिंह चौहान, श्री अशोक जैन के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण पद रिक्त रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण आस्थगित (Defer) किये जाने का निर्णय किया गया ।

65/1


श्री राजेश मूंदडा के विरुद्ध अपराध संख्या 03/1995 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.8.11 को प्रसंज्ञान लिये जाने के कारण समिति इनके चयन की सिफारिश को बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा करती है ।

श्री कपिल कुमार वर्मा के विरुद्ध ए.सी.बी. अपराध संख्या 44/2006 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.5.2008 को प्रसंज्ञान लिये जाने के कारण समिति इनके चयन की सिफारिश को बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा करती है ।

श्री संजीव जैन को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 14.9.15 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण समिति द्वारा इन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया ।

श्री रवि शेखर पुरोहित के वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण समिति द्वारा इन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया ।


आज्ञा से,



(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।


31/5/16

संयुक्त शासन सचिव

P.T.O.-2


(3)

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.7-2549 / S.E.(Civil)/ अनु0प्रथम/ए/2016-17/डी-555 दिनांक: 31.05.2016

सयुक्त शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ.1(18) सानि/ 2016/ दिनांक 31.05.2016 की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता पथ/एनएच./पीएमजीएसवाई/स्पेशल स्कीम/भवन/गुण नियंत्रण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
5. मुख्य वास्तुविद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (बी.ओ.टी./पी.पी.पी./पी.एण्ड.एम/वर्ल्ड बैंक/प्रशासन/ओ.पी.आर.सी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर ।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग.....समस्त ।
9. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता भवन/बी.ओ.टी./पथ/एन.एच./पी.एम.जी.एस.वाई./स्पेशल स्कीम/पीपीपी-1 से 9 मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सानिवि, जयपुर ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त.....(समस्त) ।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड.....(समस्त) ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय/जांच) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
13. संबंधित अधिकारीगण ।
14. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली ।


(संजीव माथुर)

अधीक्षण अभियंता एवं तक0 सहायक-प्रथम
सा0नि0वि0राज0 जयपुर ।
taceaspwd@rediffmail.com